न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—244/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/244)

1. श्रीमती नौसार देवी पत्नि स्व० बद्रीलाल भांवी
2. लवलेश पुत्र बद्रीलाल
3. नरेश पुत्र बद्रीलाल
4. सोनिया पुत्री बद्रीलाल

समस्त जाति भांवी निवासी ग्राम भील बस्ती नाडी मौहल्ला, विजयनगर जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. मुकेश पुत्र मोहनलाल
2. सत्यनारायण पुत्र मोहनलाल
3. सांवरलाल पुत्र मोहनलाल
4. श्रीमति गंजू पत्नि मोहनलाल
5. श्रीमति शोभादेवी पत्नि लादूराम उर्फ लादूलाल
6. गीता पुत्री लादूराम उर्फ लादूलाल
7. विष्णु पुत्र लादूराम उर्फ लादूलाल
8. किशन पुत्र लादूराम उर्फ लादूलाल
9. जयप्रकाश पुत्र लादूराम उर्फ लादूलाल समस्त जाति भावी निवासी भील बस्ती नाडी मौहल्ला बिजयनगर जिला अजमेर।
10. हरीश कुमार पुत्र चिरंजीलाल जाति ब्राह्मण जाति ब्राहम्ण, निवासी भील बस्ती नाडी मौहल्ला विजयनगर जिला अजमेर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर जिला अजमेर।
12. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय अजमेर।

रेस्पोडेट्स

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 17.09.2021, वाद संख्या 99/2021.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री गौत्तम टॉक, वकील अपीलांट ।
2. श्री अम्बरीश गुर्जर, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1से 10.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 11,12.

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः—04.08.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी,मसूदा के द्वारा प्रकरण संख्या 99/2021 में पारित आदेश दिनांक 17.09.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188, 92 क राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान खाता संख्या 1 तथा साबिक खाता संख्या 1 है तथा वर्तमान खसरा नम्बर 723/148 एवं साबिक खसरा नम्बर 148/607 कुल रकबा 0.6229 है0 अर्थात 3 बीघा 17 बिस्वा है उक्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पति/पिता बद्रीलाल पुत्र छोगा लाल भांबी के संयुक्त कब्जेकाश्त उपयोग–उपभोग में करीबन 60 वर्षो से दर्ज चली आ रही है। वादीगण अपने स्वर्गीय पति व पिता बद्रीलाल के समय से उक्त वादग्रस्त पर पिछले 60 सालों से अनवरत रूप सेस आज भी एंकाकी ससाधिकारपूर्वक काबिज चले आकर उपयोग–उपभोग कर रहे है जिसकी पूर्ण जानकारी प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 10 सहित आमजन को चली आ रही है, किन्तु प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट की नियत बदल गयी और वे बिना किसी अधिकार व औचित्य के व्यर्थ ही में उक्त वादग्रस्त आराजी से वादीगण को उसके सुस्थापित व वैध कब्जे से अनुचित रूप से बेदखल करवा उक्त वादग्रस्त आराजी को नाजायज गैर प्रतिफल के बदले राजनैतिक लोगो के सहयोग व मिलीभगत से उच्च वर्ग के किसी समूह विशेष समाज के लोगो को नाजायज गैर कानूनी रूप से अतिक्रमण कब्जा करवा कर वादग्रस्त आराजी का आवंटन नियमितिकरण उच्च वर्ग के किसी समुह विशेष समाज के लोगो के पक्ष में करवा देना चाहते है। वादीगण/अपीलांट अनुसूचित जाति के गरीब अनपढ़ पिछले कमजोर व्यक्ति है। अपीलांट कमाने खाने हेतु बाहर आना–जाना रहता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 09 ने ऐलानिया धमकी दी गयी कि वादीगण को उनके कब्जे–काश्त से अनुचित रूप से बेदखल कर जबरन किसी समुह विशेष को आवंटन करा देगें। इस कारण वादीगण/अपीलांट को विवादित आराजीयात की खातेदारी घोषणा बाबत् यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा एवं अतं में वादी ने वाद की प्रार्थना अनुसार वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वाद के विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर वादीगण/अपीलांट के वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.09.2021 के द्वारा रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी को स्वीकार कर वादीगण/अपीलांट के वाद को खारिज करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्धान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपील निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.09.2021 के अन्तर्गत यह फाइण्डिंग देते हुए निर्णय पारित किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1001/723 रकबा 0.3600 है0 आराजी नगर पालिका, विजयनगर के नाम दर्ज किये जाने से वाद सुनने का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नही है जब कि अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.08.2021 को ही दावा पेश कर दिया था उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

विवादित रकबे की स्थित खसरा नम्बर 723/148 रकबा 0.6229 है0 गैर–मुमकिन राज कार्यालय के नाम थी इस आधार पर दावे को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही था दावे की विषय वस्तु राजस्व नेचर की थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.09.2021 पारित किया है। अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वैध कब्जे बाबत् पुराने 60 सालो बाबत् दस्तावेजात पेश किये गये थे तथा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर जिला अजमरे दिनांक 03.09.2001 में अपीलांट को आवंटन बाबत् सूचित किया गया था उक्त सूचना की प्रति तथा तमाम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत् धारा 91 की रसीदेन सन् 1990 से अब तक की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी और आज दिनांक तक कब्जा काश्त बाबत् अपने झोपड़े, मकान बनाकर अपना गुर बसर कर रहे है उनकी फोटो प्रतियों प्रस्तुत की है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के दावे को आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर खारिज किया है उस आदेश को नॉन स्पीकिंग तथा जाप्ता दीवानी के प्रावधान आदेश 07 नियम 12 अवहेलना कारित करते हुए निर्णय दिया है क्योंकि आदेश 07 नियम 11 के जाप्ता दीवानी कन्टेन्टस में दावा किस प्रकार साबित नहीं हो रहा था उसका कई भी विवरण नही दिया है तथा अपने निर्णय में ऐसा कई भी नहीं लिखा है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि केवल मात्र वादपत्र में अंकित अभिवचन के आधार पर ही आदेश 01 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र को निस्तारण किया जाता है किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विध की खुल्लम–खुल्लम अवहेवला करते हुए प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र मदिनांक 09.09.2021 के साथ सलंग्न जमाबंदी दिनांक 08.09.2021 को आधार बनाते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के आदेश 07 नियम 11 जा.दी. को स्वीकार कर वाद पत्र को खारिज करने का आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.09.2021 को निरस्त किया जाकर वादीगण का वाद को डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में मान्नीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया द्वारा चार पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत की है।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 10 ने दौराने जवाब बहस निवेदन किया कि अपीलांट का विवादित आराजी पर जो कब्जा बताया जा है वह केवल अतिक्रमी की हैसियत से है तथा विवादित आराजी नगर पालिका, वियजनगर के क्षेत्राधिकार में होने से अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत आदेश पारित किये है। अपील अपीलांटस खारिज फरमायी जावें।

6. विद्धान राजकीय अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट संख्या 11 व 12) ने दौराने जवाब बहस में कथन किया कि वादग्रसत आराजी नगर पालिका विजयनर के क्षेत्राधिकार में स्थित है तथा उक्त आराजी वादीगण के नाम ना तो खातेदारी में है और ना ही गैर खातेदारी में है, ना ही वादीगण वादग्रस्त आराजी पर विधि सम्मत काबिज काश्त है वादीगण ने अपने वाद में खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु नहीं लिख है, न ही आवंटन या नियमितिकरण बाबत् लिखा है। जिससे वादीगण का वाद राजस्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कोई लोकस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रतिवादी संख्या 11 व 12 से किसी भी प्रकार की घोषणा बाबत् कोई दादरसी या प्रार्थना नहीं चाही है जिससे वादीगण को उक्त वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण कभी भी उत्पन्न नही हुआ और न ही हो रहा है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 11 व 12 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा. दी. को स्वीकार कर वाद को खारिज किया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नही की है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने अपने वाद–पत्र में उल्लेखित कथनो के अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं कर पाये है कि उक्त विवादित आराजी वादीगण एवं अपने पूर्वजो के पास कहॉ से आई है इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 11 व 12 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. में कथन किया कि विवादित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 723/148 साबिक खसरा नम्बर 148/607 रकबा 0.6229 है0 है जो नगर पालिका, विजयनगर में एरिया में स्थित है। इसलिए राजस्व न्यायालय को इसे सुनने का अधिकार नही है, के काउन्टर जवाब मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य जैसे जमाबंदी, इत्यादी प्रस्तुत नही किये है। वादीगण/अपीलांटस द्वारा घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा किस आधार पर प्रस्तुत किया गया है साबित नहीं कर पायें। आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवीन के अन्तर्गत दावा तभी खारिज किया जा सकता है जब कि वाद–पत्र के अभिवचनो से दावा विधि से वर्जित साबित हों। प्रस्तुत प्रकरण में वाद कारण उत्पन्न न होने के आधार पर आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी को स्वीकार किया जाकर वाद–पत्र को खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अपील अपीलांटस खारिज योग्य पायी जाती है।

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा वाद संख्या 99/2021 में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2021 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 04.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर